

उनवान

मिश्री बनाम हमीद

दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि० 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर - 142/2025  
पेश करने की दिनांक - 11.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सुखराज रावत मुद्दई परमेश्वर रावत व राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम खापरी की डांग के खाता संख्या 116 के खसरा नम्बर 32112/0.42, 3238/0.24 व 3239/0.35 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। उक्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम तर्क किया जाता है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण के पूर्वज मिश्री पुत्र अहमद के विरासत की कार्यवाही नियमानुसार दर्ज की जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

वअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 8 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान वावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद  
नसीराबाद (जमेर)  
